जनपद बाराबंकी

दिनांक 27.08.2020

थाना टिकैतनगर पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली व 04 अदद फावड़ा बरामद ।

जनपद बाराबंकी में अवैध मिट्टी खनन की लगातार प्राप्त हो रही सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा सभी प्रभावित थानों के थाना प्रभारियों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में दिनांक 26.08.2020 को प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर श्री आलोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना टिकैतनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. पंकज कुमार दीक्षित पुत्र सावर कुमार निवासी अमनियापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी 2. भवानी दीक्षित पुत्र रामकुमार दीक्षित निवासी अमनियापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी को समय करीब 23.40 बजे ग्राम रानीकटरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 अदद ट्रैक्टर मय ट्राली मिट्टी लदी हुई व 04 अदद फावड़ा बरामद किया गया। उक्त वाहन का प्रयोग किये जाने की अनुमति प्रपत्र व वाहन के कागजात मौके पर मांगे गये तो अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखाया जा सका। जिससे एक अदद ट्रैक्टर को धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना टिकैतनगर पर मु0अ0सं0 253/2020 धारा 379/411/447 भादवि व 4/21 खनन अधिनियम 1957 पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. पंकज कुमार दीक्षित पुत्र सावर कुमार निवासी अमनियापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।
2. भवानी दीक्षित पुत्र रामकुमार दीक्षित निवासी अमनियापुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक टिकैतनगर श्री आलोक कुमार वर्मा जनपद बाराबंकी।
2. का0 रोहित यादव, का0 सोनू वर्मा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
3. का0 सूरज जायसवाल थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।